





Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर  
मुकेश कुमार भूमिया उमरिया रोड भीटा विरुद्ध शशी जसेले पुत्र ठाकुर प्रसाद  
प्रकरण क्रमांक 9002-एक/2016 अपील जिला, जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4. 3. 2016	<p>अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दाय प्रकरण क्रमांक २१९/ बी-१२१/२०१७-१६ में पारित आदेश दिनांक २८-१२-२०१७ के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९७९ की धारा ४४ के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२/ प्रकरण का सारंश यह है कि अपीलांत ने कलेक्टर जबलपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पिपरिया खुर्द पटवारी हलका नंबर ७१/७७ तहसील जबलपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक २६१/३/१, २६१/३/२, २६१/३/३ कुल किता ३ कुल रकबा ०.८० हैक्टर (१.९७ एकड़) (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) रिस्थाण्डेन्ट से कय करने हेतु किये गये विक्रय अनुबंध के आधार पर एवं रिस्थाण्डेन्ट के अनूसूचित जनजाति का होने के कारण विक्रय अनुमति दिये जाने की मांग की। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक ७७ अ-२१/२०१४-१७ पंजीबद्ध किया तथा आवेदन के तथ्यों की जांच करते हुये पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक १९-१०-२०१७ पारित किया एवं विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलांत ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील क्रमांक २१९/ बी-१२१/२०१७-१६ प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक २८-१२-२०१७ से गुणदोष के आधार विचार किये बिना निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील है।</p> <p>३/ अपीलांत के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव एवं रिस्थाण्डेन्ट के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>४/ उभय पक्ष के अभिभाषकगण के तर्कों पर विचार करने एवं</p>	

R/S



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	<p>अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि रिस्थाण्डेन्ट अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है जिसके नाम ग्राम पिपरिया खुर्द में वादग्रस्त भूमि है। अपीलांत के अभिभाषक ने तर्क दिया कि जब अपीलांत ने कलेक्टर के समक्ष अनुबन्ध पत्र के साथ विक्रय अनुमति आवेदन दिया, कलेक्टर द्वारा आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर से कराई है एवं अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने नायब तहसीलदार उमरिया से मौके की स्थिति के मान से जांच प्रतिवेदन मांगा है। नायब तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन दिनांक १-१०-१५ प्रस्तुत कर बताया है कि विक्रय की जाने वाली भूमि में वृक्ष नहीं है एवं मौके पर खेती हो रही है यह भी प्रतिवेदित किया है ग्राम पिपरिया खुर्द में ०.८० हैक्टर भूमि मात्र भूमि है यदि रिस्था यह भूमि विक्रय करता है तब उसके पास ग्राम दहरगवां तहसील कुण्डम में २.०० हैक्टर भूमि शेष बचेगी। जांच में वादग्रस्त भूमि पट्टे की भूमि न होना प्रतिवेदित है। अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने प्रतिवेदन के पद-२ में अंकित किया है कि आवेदक शेष बच रही भूमि को उन्नत कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये एवं भूमि के विकास के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से भूमि विक्रय कर रहा है।</p> <p>जांच प्रतिवेदनों में अंकित उपरोक्त तथ्यों से परिलक्षित है कि प्रथमतः वादग्रस्त भूमि रिस्थाण्डेन्ट की पट्टे की भूमि न होकर स्वअर्जित भूमि है जिसका वह भूमिस्वामी है एवं उसके द्वारा भूमि का विक्रय शेष बच रही भूमि को उन्नत कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये एवं भूमि के विकास के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से किया जा रहा है अर्थात् रिस्थाण्डेन्ट के विक्रय की शोच सद्भावना पर आधारित</p>	

है, जिसके कारण वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बौधानिक अड़चन न होते हुये भी कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक ५७ अ-२१/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक १९-१०-२०१५ से विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है और इन सभी तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक २१९/ बी-१२१/२०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक २८-१२-२०१५ से अपीलांत की अपील गुणदोष विचार किये बिना निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ५७ अ-२१/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक १९-१०-२०१५ एवं अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक २१९/ बी-१२१/२०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक २८-१२-२०१५ त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं रिस्पॉण्डेंट को अपीलांत के हित में ग्राम पिपरिया खुर्द पटवारी हलका नंबर ५१/७७ तहसील जबलपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक २६१/३/१, २६१/३/२, २६१/३/३ कुल किता ३ कुल रकबा ०.८० हैक्टर (१.९७ एकड़) के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

१. यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष २०१५-१६ की प्रचलित गाईड लायन के मान से भूमि का मूल्य देने तैयार हो ।
२. विक्रय पत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विक्रेता के नाम पंजीयन दिनांक को अदा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित करेंगे।
३. भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन इस आदेश दिनांक से तीन माह की समयावधि में निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
४. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १६५ में दिनांक २१ अगस्त २०१५ को किये गये संशोधन अनुसार शासन मद में प्रचलित गाईड लायन के मान से निर्धारित राशि जमा करने के उपरांत ही विक्रय पत्र संपादित किया जावे।




सदस्य